

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक- 18.08.2025

थाना छावनी पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में गोतस्करों के विरुद्ध वृहद कार्यवाही करते हुए 02 अंतर्जनपदीय पशु तस्करों को गिरफ्तार कर 01 अदद पिकअप मय 05 अदद गोवंशीय पशु बरामद किया गया।

थाना छावनी पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में गो-तस्करों के विरुद्ध वृहद कार्यवाही करते हुए 02 गोतस्करों 1-इबरार उर्फ अबरार पुत्र कासब व 2-राकेश सोनकर पुत्र रामनरेश सोनकर को दिनांक -18.08.2025 समय करीब 04:10 बजे खतमसराय हाइवे कट से गौरियानयन जाने वाले मार्ग पर पचपेड़िया बहद ग्राम गौरियानयन बंधे के पास से गिरफ्तार कर 01 अदद पिकअप मय 05 अदद गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0-184/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर पशुओं का चिकित्सकीय परीक्षण व इलाज करा कर उनके उचित देखभाल के लिये नजदीकी गौशाला भेजवा दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- इबरार उर्फ अबरार पुत्र कासब उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर (उ0प्र0)।
- 2- राकेश सोनकर पुत्र रामनरेश सोनकर उम्र 30 वर्ष निवासी रेहरवा संजय कॉलोनी थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक अदद पिकअप वाहन संख्या-UK18-CA6898 (सफेद रंग की)।
- 2- आठ अदद (छोटी रस्सी), एक बड़ी रस्सी, व एक अदद लकड़ी का पटरा।
- 3- पांच अदद गोवंशीय पशु जिनका चिकित्सकीय परीक्षण व इलाज करा कर उनके उचित देखभाल के लिये नजदीकी गौशाला भेजवा दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1-इबरार उर्फ अबरार पुत्र कासब।

- 1- मु0अ0सं0-184/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर (उ0प्र0)।
- 2-मु0अ0सं0- 172/21 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर (उ0प्र0)।
- 3-मु0अ0सं0- 60/23 धारा- 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर (उ0प्र0)।
- 4-मु0अ0सं0- 203/22 धारा- 34, 411, 413, 414, 417, 418, 420 IPC (थाना बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर (उ0प्र0)।
- 5-मु0अ0सं0- 204/22 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर (उ0प्र0)।

6- मु0अ0सं0-184/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना नगर जनपद बस्ती |

2-राकेश सोनकर पुत्र रामनरेश सोनकर |

1-मु0अ0सं0-184/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना नगर जनपद बस्ती |

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- थानाध्यक्ष छावनी जनार्दन प्रसाद जनपद बस्ती |

2- प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम निरीक्षक विकास यादव जनपद बस्ती |

3- प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 शशिकान्त जनपद बस्ती |

4- उ0नि0 शशि शेखर सिंह, उ0नि0 सुरेन्द्र यादव, उ0नि0 रामकुमार पासवान, थाना छावनी जनपद बस्ती |

5- हे0का0 रामायन धर दूबे, हे0का0 दिनेश कुमार, हे0का0 अखंड प्रताप, हे0का0 विक्रान्त, हे0का0 जितेंद्र मौर्या, हे0का0 विनोद यादव, थाना, का0 अखिलेश कुमार सिंह, का0 संजय यादव, का0 रोहित कुमार, का0 संदीप यादव, का0 मुकेश यादव, का0 चन्द्रप्रकाश मिश्रा, का0 विरेन्द्र कुमार, थाना छावनी जनपद बस्ती |

6- हे0का0 रमेश यादव, हे0का0 इरशाद खान, हे0का0 अभय, का0 चन्दन एस0ओ0जकी0 टीम जनपद बस्ती |

7- हे0का0 देवेश, का0 संतोष सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |

